न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, षष्टम–सह–विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो), पूर्णियॉ

A.B.P No. 365/2026

C.I.S. No. 365/2026

Serial no.	Date of Order of proceeding	Order with signature of the Court
1	2	3
	23.04.2026	आवेदकगण **वीणा देवी एवं गौरव कुमार** जिसे सहायक खजॉची थाना काण्ड संख्या–37/2026, प्राथमिकी अन्तर्गत धारा 126(2), 115(2), 137(2), 96, 352, 3(5) भारतीय न्याय संहिता में गिरफ्तारी की आशंका है, की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। आवेदन की प्रति विद्वान विशेष लोक अभियोजन को सेवित है। आवेदक अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता श्री शत्रुघ्न प्रसाद साह एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक श्रीमति पूर्णिमा सिन्हा को सुना। सूचक के आवेदन के आधार पर अभियोजन का वाद संक्षेप में है कि सूचिका के पति जेल चौक के पास फल का दुकान करता है। दिनांक 01.02.2026 को दिन के दो बजे वह अपने पति के पास जा रही थी और उसकी नावालिग पुत्री/पीड़िता को घर में रहने के लिए बोलकर गई थी। एक घंटा के बाद जब वह लौटकर घर आयी तो अपनी पुत्री/पीड़िता को घर पर नहीं देखी। अगल बगल खोजबीन की तो ग्रामीणों ने बताया कि एक लड़का मोटर साईकिल नं0– बी.आर.11 बी.जी.–3859 से आया था और जबरदस्ती हाथ पकड़कर उसकी पुत्री/पीड़िता को मोटर साईकिल पर बैठा कर लेकर चला गया। गाड़ी के नम्बर से लड़का का नाम सोनू कुमार पता चला। नाम पता चलने के बाद वह अपने पति के साथ लड़का के घर पर गई तो वहॉ सोनू कुमार की मॉ वीणा देवी एवं भाई गौरव कुमार मौजूद था और जब वह उससे पूछी कि उसका बेटा सोनू कुमार उसकी नावालिग पुत्री/पीड़िता को लेकर भाग गया है तो वीणा देवी एवं गौरव कुमार उसके पति के साथ गाली गलौज तथा मारपीट कर घर से भगा दिया। सूचिका के आवेदन के आधार पर सहायक खजॉची थाना काण्ड संख्या– 37/2026 प्राथमिकी धारा 126(2), 115(2), 137(2), 96, 352, 3(5) भारतीय न्याय संहिता के अन्तर्गत पंजीकृत हुआ एवं अनुसंधान आरंभ हुआ। आवेदक अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि वह निर्दोष है तथा उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है और उनके विरूद्ध लगाये गये आरोप गलत और बनावटी है तथा उसे इस कांड में स्थानीय ग्रामीण राजनीति के तहत गलत रूप से झूठा फॅसा दिया गया है। आवेदकगण की ओर से इस जमानत आवेदन के अलावा अन्य कोई अग्रिम जमानत आवेदन या नियमित जमानत आवेदन इस न्यायालय में या माननीय उच्च न्यायालय पटना में दाखिल नहीं किया गया है। आगे कथन किया गया है कि प्राथमिकी के अनुसार आवेदकगण के विरूद्ध केवल गाली गलौज करने का आरोप है। प्राथमिकी के अनुसार धारा 96 भारतीय न्याय संहिता का अपराध आवेदकगण के विरूद्ध लागू नहीं होता है, और सोनू कुमार इस अग्रिम जमानत आवेदन में आवेदक नहीं है। यह भी कथन किया है कि आवेदकगण को पीड़िता के लापता होने की कोई जानकारी नहीं है। आवेदक सं0–1 वीणा देवी के द्वारा सोनू कुमार के लापता होने के संबंध में थानाध्यक्ष सदर को आवेदन दी थी, परन्तु थानाध्यक्ष सदर के द्वारा आवेदक के उक्त आवेदन पर

<u>न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, षष्टम–सह–विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो), पूर्णियॉ</u>

<u>A.B.P No. 365/2026</u>

C.I.S. No. 365/2026

	<u>लगातार</u> **23.04.2026**	कोई कांड दर्ज नहीं किया। आवेदकगण सोनू कुमार का मॉ एवं भाई है तथा उसके विरूद्ध पीड़िता का अपहरण करने का कोई मामला नहीं बनता है। आवेदक अभियुक्तगण न्यायालय द्वारा अधिरोपित सभी शर्तो का अनुपालन करने के लिए तैयार है। अतः प्रार्थना करते है कि आवेदकगण को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान करने की कृपा की जाय। विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा आवेदक अभियुक्तगण के अग्रिम जमानत का विरोध किया गया। सुना। अभिलेख एवं कांड दैनिकी का अवलोकन किया। अवलोकनोपरान्त प्रतीत होता है कि आवेदकगण सह अभियुक्त सोनू कुमार का मॉ एवं भाई हैं जिसपर प्राथमिकी के अनुसार केवल गाली गलौज एवं मारपीट करने का आरोप है। पीड़िता ने अपने बयान धारा 180 भारतीय न्याय संहिता के अन्तर्गत दिये गये बयान में भी आवेकदगण के विरूद्ध कुछ नहीं कही है जैसा कि कांड दैनिकी के कंडिका 50 के अवलोकन से प्रतीत होता है और पीड़िता बरामद हो चुकी है, जिससे आवेदक/अभियुक्तगण अग्रिम जमानत का लाभ प्राप्त करने के हकदार प्रतीत होता हैं। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में यह न्यायालय आवेदक अभियुक्तगण **वीणा देवी एवं गौरव कुमार** को अग्रिम जमानत का लाभ देना उचित समझती है। तदनुसार आवेदक अभियुक्त **वीणा देवी एवं गौरव कुमार** आदेश प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों के अन्दर न्यायालय में आत्म समर्पण/गिरफतार कर लाये जाने पर मो0–10,000/– रूपये के दो समान प्रतिभूओं के साथ जमानत बंध पत्र दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त कर दिया जायेगा। आदेश की एक प्रति मूल अभिलेख सहायक खजॉची थाना काण्ड संख्या–37/2026 में संलग्न करने हेतु मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,पूर्णियॉ को प्रेषित करें। (लेखापित) ह0/– (राकेश कुमार पाण्डेय) जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश षष्टम् सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो,पूर्णियॉ। | Dated of Judgment/Order | 23-04-2026 | | date of Reserving Judgment/ Order | 23-04-2026 | | Uploading Date | 25-04-2026 | | Uploaded by | Umesh Thakur |